

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दीगोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2025 में लगभग 79.20 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर उत्पादित खड़े गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई का कार्य

निविदा- प्रपत्र

निविदा संख्या	:	निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा+18%जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 22.11.2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 02.12.2025 तक अपरान्ह 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 03.12.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 03.12.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2025 में उत्पादित लगभग 79.20 हैक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित खड़े गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई के कार्य हेतु दरें।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)	दर प्रति कु0 (धनराशि ₹) (अंको एवं शब्दों में)
1	विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी में उत्पादित गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई का कार्य	79.20	₹..... प्रति कु0

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक..... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डीआर0 सं0

निविदादाता का पूरा नाम

हस्ताक्षर

दिनांक

पिता/पति का नाम

धनराशि ₹

ग्राम व पोस्ट

तह0..... जनपद.....

पिन..... दूरभाष.....

मोबाइल नं0

पैन संख्या आधार नं0.....

बैंक का खाता सं0/शाखा नाम

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में उत्पादित गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई का कार्य

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ धरोहर राशि गन्ना कटाई, छिलाई, बंधाई एवं चट्टा लगाने हेतु ₹ 30,000.00 (₹ तीस हजार मात्र) निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट/एफडी0आर0 जो गो0ब0पन्त0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक है। बिना पर्याप्त धरोहर धनराशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. सफल निविदादाता को प्रत्येक प्रक्षेत्र पर उत्पादित गन्ना पेड़ी माह दिसम्बर 2025 तक समाप्त करनी होगी एवं गन्ना पौधा जनवरी 2026 से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी 2026 तक समाप्त करना होगा अथवा चीनी मिल के बन्द होने की तिथि से पूर्व ही गन्ने का सम्पूर्ण कार्य कराना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को निविदायें दिनांक 03.12.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय फार्म पर उपलब्ध गन्ना कटाई का कार्य सर्वप्रथम गन्ना पेड़ी के क्षेत्रफल पर करना होगा, जिससे फार्म के गेहूँ की बुवाई शीघ्रता से हो सके तथा उसके उपरान्त गन्ना पौधे की कटाई का कार्य अधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ करना होगा।
5. सफल निविदादाता को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।
6. सफल निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
7. यदि सफल निविदादाता ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
8. सफल निविदादाता के श्रमिकों, पशुओं व मशीनों द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सफल निविदादाता से की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। किसी तरह के विवाद का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार एकल पंचाट को होगा, जिसे दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला-ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
10. प्रस्तावित कार्य अनुमानित कार्य है, कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
11. गन्ना कटाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि सफल निविदादाता द्वारा कार्य छोड़ा जाता है तो पूर्ण सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त किये जाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
12. सफल निविदादाता को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी0एस0टी0 मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई के उपरान्त अगोले पर सफल निविदादाता का अधिकार होगा।
15. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे-सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे-सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं हैं।


मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में खरीफ 2025 में 79.20 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने को खेतों से चीनी मिल, किच्छा द्वारा स्थापित काँटे तक दुलाई के कार्य हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या.....	:	निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा+18% जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 22.11.2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 02.12.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 03.12.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 03.12.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में खरीफ 2025 में 79.20 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने की खेतों से चीनी मिल, किच्छा द्वारा स्थापित काँटे तक दुलाई के कार्य हेतु दरें।

हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र

खण्ड का नाम	खेतों से चीनी मिल किच्छा द्वारा स्थापित काँटे से औसत दूरी (कि0मी0) सर्विस स्टेशन, हल्दी (कांटा)	दर प्रति कु0 (अंको एवं शब्दों में)	उपलब्ध करायी जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली/ट्रक की संख्या
"एच"	2.00		
"जे"	3.00		
"एन"	7.00		
"क्यू"	7.00		
"आर"	7.00		
"एस"	7.00		

मैंने पूर्व पृष्ठ भाग पर वर्णित निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹ बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर सं0.....

निविदादाता का पूरा नाम

हस्ताक्षर

दिनांक.....

पिता/पति का नाम

धनराशि ₹

ग्राम व पोस्ट

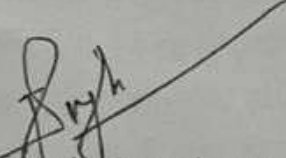
तह0 जनपद.....

पिन दूरमाष.....

मोबाइल नं0

पैन संख्या आधार नं0.....

बैंक का खाता सं0/शाखा का नाम



निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में उत्पादित गन्ने की खेतों से चीनी मिल, किच्छा द्वारा
स्थापित काँटे तक ढुलाई कार्य

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ गन्ना ढुलाई हेतु धरोहर राशि ₹ 30,000.00 (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट एवं एफडी0आर0 जो गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता को निविदायेँ दिनांक 03.12.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
3. निविदादाता को गन्ना ढुलाई हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर-ट्राली/ट्रक की संख्या का उल्लेख निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से करना होगा जिससे विश्वविद्यालय फार्म अपने प्रतिदिन मांग के अनुसार की व्यवस्था कर सकें।
4. सफल निविदादाता को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।
5. हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों में उत्पादित गन्ने को ट्रैक्टर-ट्राली/ट्रक में लदाई कर खेतों से चीनी मिल, किच्छा द्वारा स्थापित काँटे तक ढुलाई करनी होगी।
6. फार्म के खण्डों से गन्ने की निकासी से पूर्व प्रक्षेत्र सहायक के द्वारा रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना रवन्ना प्राप्त किये ट्रैक्टर-ट्राली व ट्रक खेत से बाहर नहीं निकाली जायेंगी।
7. सफल निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
8. यदि सफल निविदादाता ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
9. सफल निविदादाता के श्रमिकों, एवं मशीनों द्वारा वि0वि0 फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सफल निविदादाता से की जायेगी।
10. ट्रैक्टर-ट्राली/ट्रक में गन्ने की लदाई एवं उतराई का कार्य सफल निविदादाता को करना होगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला-ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
12. यदि खेत में गन्ना छोड़ा गया तो ₹ 500.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी।
13. सफल निविदादाता को आवश्यकतानुसार ट्रान्सपोर्ट के साधन उपलब्ध कराने होंगे।
14. प्रस्तावित कार्य अनुमानित कार्य है, कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
15. गन्ना ढुलाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि सफल निविदादाता कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
16. सफल निविदादाता को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी0एस0टी मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
17. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
18. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे-सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे-सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं